

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक अराज/सामान्य/2019/533

दिनांक ०५-०९-२०१९

आदेश

निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से करते हुये पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार किया जाता है -

क्र.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	नरेश कुमार सैनी सहा.रेडियो	सा स्वा.केन्द्र, किशनगढ रेनवाल, जयपुर	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर रिक्त पद पर
2	उमेश दोशी, नर्स द्वितीय	महात्मा गांधी चिकि., जोधपुर	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर रिक्त पद पर
3	आयशा बानो, नर्स द्वितीय	एमडीएम चिकि , जोधपुर	महात्मा गांधी चिकि., जोधपुर रिक्त पद पर
4	महेश कुमार सोनी, नर्स द्वितीय	सा.स्वा केन्द्र, चौहट्टन, बाडमेर	जिला चिकि , बाडमेर रिक्त पद पर
5	बुलकेश कुमारी, म.स्वा.का.	उपकेन्द्र, गुगडोद, अलवर	सा.स्वा.केन्द्र, बाम्बोली, अलवर
6	हरीश बसीटा, नर्स द्वितीय	एमडीएम चिकि. , जोधपुर	मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर
7	दुर्गेश कुमार भील, नर्स द्वितीय	सा.स्वा.केन्द्र, अकलेरा झालावाड	सा.स्वा.केन्द्र, असनावर झालावाड
8	लक्ष्मी गोयल, नर्स द्वितीय	सा.स्वा.केन्द्र, मथानिया , जोधपुर	एमडीएम चिकित्सालय, जोधपुर रिक्त पद पर
9	मीराबाई यादव, नर्स द्वितीय	सा.स्वा.केन्द्र, बाटाडू, बाडमेर	सा.स्वा.केन्द्र बानसूर, अलवर रिक्त पद पर
10	बुलकेस देवी, म स्वा.का	उपकेन्द्र, शेरगढ,खण्ड भिनाय,अजमेर	मु.चि.एवं स्वा.अधिकारी, झुझुनू के अधीन रिक्त पद पर
11	अनिता गर्ग, फार्मासिस्ट	प्रा.स्वा.केन्द्र, पुनाना, खण्ड आमेर, जयपुर	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर रिक्त पद पर
12	महेश चन्द गुप्ता, नर्स द्वितीय	सामा चिकि., गगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर	एमबीएस चिकित्सालय, कोटा रिक्त पद पर
13	विक्रम सिंह, नर्स द्वितीय	सा.स्वा केन्द्र, कवास, बाडमेर	एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर रिक्त पद पर
14	सीमा शर्मा, नर्स द्वितीय	जिला चिकि जैसलमेर	ईएसआई डिस्पें., नीमराना, अलवर रिक्त पद पर
15	आशा खेरिया, म स्वा का	प्रा.स्वा.केन्द्र, पलखडी, अलवर	जिला चिकित्सालय, अलवर रिक्त पद पर
16	सत्यपाल, वरि.रेडियो.	राज.चिकि.सागवाड, डूंगरपुर	जिला चिकित्सालय, राजसमद रिक्त पद पर
17	आईदान राम, नर्स प्रथम	प्रा.स्वा.केन्द्र, फतेहगढ, जैसलमेर	मेडिकल कॉलेज, बाडमेर रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति
18	नबूलाल मीणा, लेब टैक्नी	प्रा.स्वा.केन्द्र, सिरस, टोंक	सा.स्वा.केन्द्र, केशवरायपाटन, बून्दी रिक्त पद पर
19	सुनील कुमार, नर्स द्वितीय	जेएलएन चिकि., अजमेर	पीबीएम चिकित्सालय, बीकानेर रिक्त पद पर
20	सुरेश कुमारी, नर्स द्वितीय	प्रा स्वा.केन्द्र, लोहारकी, जैसलमेर	मेडिकल कॉलेज, चुरू मे रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति

J.Gaur

क.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
21	पूनम कुमारी, म.स्वा कार्य	उपकेन्द्र, बोरबद, अकलेरा, झालावाड	उपकेन्द्र, धीरेरा स्टेशन खण्ड लूणकरणसर, बीकानेर रिक्त पद पर
22	हरदेवा राम, नर्स प्रथम	प्रा स्वा केन्द्र, तरनाउ, नागौर	सा स्वा.केन्द्र, कुकनवाली, नागौर रिक्त पद पर
23	सीताराम यादव लेब टैक्नी	सा.स्वा.केन्द्र, नाचना, जैसलमेर	मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर रिक्त पद पर

- 1 खसरा एव रुबेला टीकाकरण कार्यक्रम के मध्यनजर उक्त आदेश में वर्णित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एव महिला स्वास्थ्य दर्शिकाओं के स्थानान्तरण की क्रियान्विति माह सितम्बर, 2019 के प्रथम सप्ताह तक नहीं की जायेगी।
- 2 सविदा/रिवर्स डेपुटेशन/एनएचएम योजना के अन्तर्गत पदस्थापित कर्मचारियों के स्थानान्तरण की क्रियान्विति नहीं होगी।
- 3 कर्मचारी का स्थानान्तरण भूलवश दो बार होने की स्थिति में प्रथम बार किये गये स्थानान्तरण की क्रियान्विति की जावे।
- 4 जिला बाडमेर एवं जैसलमेर में कार्यरत अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के स्थानान्तरण इन जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में हुये हैं, तो उस आदेश की क्रियान्विति नहीं होगी।
- 5 ऐसे सस्थान जहां एक ही पद स्वीकृत हैं। यदि वहां एक के अधिक कर्मचारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो पहले कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी को कार्यग्रहण करावे। इसके पश्चात् उसी स्थान के लिए आने वाले कर्मचारी के पदस्थापन के संबंध में निदेशालय से निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यवाही की जावे।
- 6 यदि कार्मिक का स्थानान्तरण रिक्त पद पर किया गया तथा उस सस्थान पर पद रिक्त नहीं है, तो कार्यग्रहण नहीं करवाते हुये 'अग्रिम पदस्थापन हेतु' अविलम्ब निदेशालय हेतु कार्यमुक्त करे।
- 7 उक्त कार्मिकों में से यदि किसी सस्थान में एक ही नाम के दो या उससे अधिक कार्मिकों कार्यरत हों तथा दो अथवा अधिक कार्मिक कार्यमुक्त हेतु प्रस्तुत होते हैं, तो निदेशालय से मार्गदर्शन उपरान्त ही कार्मिक को कार्यमुक्त करें।
- 8 रिक्त पद पर किये गये स्थानान्तरण में किसी भी स्थिति में कार्मिक का समायोजन अन्य समकक्ष/उच्च रिक्त पद पर नहीं किया जायेगा।
- 9 अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में किये गये स्थानान्तरण पर यदि कार्मिक की नियुक्ति अनुसूचित क्षेत्र हेतु हुई है अथवा कार्मिक का अनुसूचित क्षेत्र में कार्य हेतु विकल्प पत्र का सेवा पुस्तिका/सेवाभिलेख में इन्द्राज हो, तो उनके आदेश की क्रियान्विति नहीं होगी।

उपरोक्त शर्तों (1 से 9) की पालना किये जाने का दायित्व कार्यमुक्त करने वाले/कार्यग्रहण कराने वाले अधिकारी का होगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 विशिष्ट सहायक, मा मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, मा राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 4 निदेशक, ईएसआई योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
- 5 निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई/पुनर्वास अनुसंधान केन्द्र, जयपुर।
- 6 सबधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय।
- 7 सबधित सभागीय सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
- 8 सबधित अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय समूह।
- 9 सबधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- 10 सबधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
- 11 सबधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
- 12 सबधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
- 13 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 14 आदेश/रक्षित पत्रावली।

sd

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर